

Form-1

(For linear project)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector-Uttarkashi

No...172/2018

Dated..06.08.2018

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of the environment and forests (MOEF), Government of India's letter no 11-9/98-FC(pt-) dated 3rd august 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear project, it is certified that **3.8385** hect. Of forest land proposed to be diverted in favour of **P.M.G.S.Y.I.D. Purola Uttarkashi** (Uttarakhand) for New Construction **Odata to Saras Motor Road** district falls within jurisdiction of Saras villager(s) in Mori tehsil.

It is further certified that:

- The complete process for identification and settlement of rights under FRA, has been carried out for the entire **3.8385** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest rights committee(s), Gram Sabha(s) Sub-Division level Committee(s) and the District level Committee are enclosed as annexure 23 to annexure 23.2
- The diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Sub-Division level Committee given their consent to it;
- The proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl.: -as above.


 (Dr. Ashish Chauhan)
 District Magistrate,
 Uttarkashi

Annexure.....

**OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT -Uttarkashi (U.K.)**

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional Forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA) 2006.

A meeting of the district level committee of Uttarkashi district, constituted under FRA 2006 was held under the chairmanship of **Dr Ashish Chauhan I.A.S. District Magistrate Uttarkashi** on date 21.12.2018 At time 3.00 PM At Uttarkashi in which application claiming rights in forest land area measuring **3.8385** hect for the construction of **Odata to Saras Motor Road under PMGSY** of forest land Under FRA 2006 of the following applicant dully processed and recommended by the sub division level committee of **Purola** were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection / claims were found to have been made & hence District level committee recommended the above case for diversion of land for the said purpose.

Place Uttarkashi
Dated 21-12-2018


(**Dr. Ashish Chauhan**)
District Magistrate,
Uttarkashi

It is certified that- Minutes of meeting of Construction of Odata to Saras Motor Road Km. 6.00 Motor Road regarding FRA is as following

Sr. No.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA had been carried out for the entire 3.8385 hect. Of forest area proposed for diversion. A copy of record of all consultations and meeting of the Forest Right Committee(s), sub division Level Committee are enclosed as annexure.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.
(b)	The Diversion of Forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the villagers have given consent to it.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers. No objection certificate concerned villages regarding construction of aforesaid Motor Road attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and pre-agricultural communities.	Yes copy of records attached and there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.


 (Dr. Ashish Chauhan)
 District Magistrate-cum-Chairman
 District Level Committee
 Uttarkashi

परियोजना का नाम - जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत
ओझावा से संराधा मोटर मार्ग का निर्माण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, पुरोला
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, मोरी

उपखण्ड मोरी, वन क्षेत्र के अन्तर्गत ओझावा से संराधा मोटर मार्ग निर्माण हेतु (3:8385)
17325 हे० आरक्षित वन भूमि 2,025 हे० मिश्रित एवं बोधग वन भूमि 2-4 हे० वन पंचायत भूमि अर्थात् कुल 3:8385

हे० वन भूमि का सिंचाई खण्ड पी०एम०जी०एस०वाई० पुरोला प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु
अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मांगता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील पुरोला)
की विभागीय प्रमाण-पत्र के माध्यम से कार्यवाही का निष्पत्ति

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मांगता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड
स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक की कार्यवाही का निष्पत्ति उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की,
कार्यवाही में आरोपित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री P. S. Singh उप जिलाधिकारी अध्यक्ष
- 2- श्री सूर्य कान्त झा उप प्रभागीय वनाधिकारी अध्यक्ष
- 3- श्री मोहन कुमार शर्मा सहायक सभाध्यक्ष अधिकारी सदस्य/सचिव
- 4- श्री मनी लाल देवी पी०डी०सी० क्षेत्र अध्यक्ष

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि ओझावा से संराधा मोटर मार्ग का निर्माण परियोजना हेतु 3:8385 हे० वन भूमि सिंचाई खण्ड, पी०एम०जी०एस०वाई० पुरोला प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों को सप्लाई रखा गया। याम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है।

उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुमति की गई है। संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, वन पंच प्रभाग पुरोला द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मांगता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

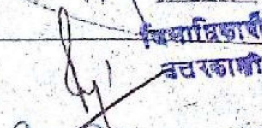
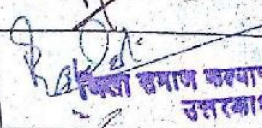
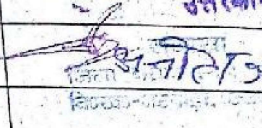
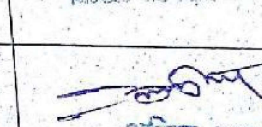
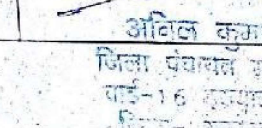
बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड मोरी, वन क्षेत्र के अन्तर्गत ओझावा से संराधा मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 3:8385 हे० वन भूमि सिंचाई खण्ड, पी०एम०जी०एस०वाई० पुरोला प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

प्रतिनिधि : जिलाधिकारी, उत्तरकाशी को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- मोरी
जनपद उत्तरकाशी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- मोरी
जनपद- उत्तरकाशी

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत ओडाटा से सरास मोटर मार्ग किमी 0 6.00 मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण हेतु वनभूमि 3.8385 है 0 वनभूमि हस्तान्तरण किया जाना है। जिला स्तरीय समिति द्वारा दिनांक 8-6-2018 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गयी है बैठक में निम्न अधिकारी एवं सदस्य गण उपस्थित हुये हैं।

क्र०सं	अधिकारी/सदस्यों का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1	श्री आशीष चौहान	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी	
2	श्री आर०जी० मिश्रा	प्रभागीय वनाधिकारी टौन्स वन प्रभाग, पुरोला	
3	श्री जीत सिंह रावत	जिला समाज कल्याण अधिकारी उत्तरकाशी	
4	श्री जितेन्द्र राणा	जिला पंचायत सदस्य टकनौर	
5	श्रीमति अनिता गुसाई	जिला पंचायत सदस्य कन्सेण	
6	श्री अनिल कुमार	जिला पंचायत सदस्य डख्याटगांव	

अनिल कुमार
जिला पंचायत सदस्य
वार्ड-16 डख्याटगांव
जिला- उत्तरकाशी

परियोजना का नाम :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड मोरी में ओझाटा से सरास मोटर मार्ग का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम सरास

तहसील पुरोला, जिला :- उत्तरकाशी

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड मोरी में ओझाटा से सरास मोटर मार्ग का निर्माण।

परियोजना के निर्माण हेतु (17325 हे० आरक्षित वन भूमि, 2025 हे० निश्चित सोपान भूमि -- हे० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 36325 हे० वन भूमि

का प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सिंचाई, खेती, इस्तेमाल विभाग/संस्था को ज्ञात में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सरास द्वारा दिनांक 16/5/16 को सम्मान ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोजित एजेन्डी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र नियत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं।

उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सरास के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि पी०एम०जी०एस०वाई० पुरोला प्रयोजित एजेन्डी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जा सत्य एवं सही है।

हस्ताक्षर :-

ग्राम सचिव
मुहर सहित
विकास

सरास
अध्यक्ष

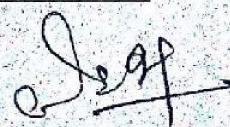
हस्ताक्षर :-
ग्राम प्रधान/सचिव
ग्राम पंचायत
विकास
जनपद-उत्तरकाशी

दिनांक 16.08.18 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत का नाम- अशोक

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित जरिख सम्पत्तियों के नाम	हस्ताक्षर
1	अशोक सिंह	अशोक सिंह
2	अशोक सिंह	अशोक सिंह
3	अशोक सिंह	अशोक सिंह
4	अशोक सिंह	अशोक सिंह
5	अशोक सिंह	अशोक सिंह
6	अशोक सिंह	अशोक सिंह
7	अशोक सिंह	अशोक सिंह
8	अशोक सिंह	अशोक सिंह
9	अशोक सिंह	अशोक सिंह
10	अशोक सिंह	अशोक सिंह
11	अशोक सिंह	अशोक सिंह
12	अशोक सिंह	अशोक सिंह
13	अशोक सिंह	अशोक सिंह
14	अशोक सिंह	अशोक सिंह
15	अशोक सिंह	अशोक सिंह
16	अशोक सिंह	अशोक सिंह
17	अशोक सिंह	अशोक सिंह
18	अशोक सिंह	अशोक सिंह
19	अशोक सिंह	अशोक सिंह
20	अशोक सिंह	अशोक सिंह

अशोक सिंह
ग्राम पंचायत, अशोक
विकास, अशोक
जयपुर, अशोक

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
21	दिवाग बिदे	दिवाग बिदे
22	मुनिल बिदे	मुनिल बिदे
23	मुन्ना	(मुकर)
24	हरदात बिदे	हरदात बिदे
25	मोहन पाण्डे	मोहन पाण्डे
26	रेशम लाल	रेशम लाल
27	पुनीत	Pooni
28	सचिन	पुनीत
29	लक्ष्मी बिदे	संत लाल
30	कुन्त बिदे	सुन्दर सिंह
31	राम पात बिदे	Ram Pat Singh
32	रमेश पाण्डे	रमेश पाण्डे
33	धनकुमार	धनकुमार
34	उपेन्द्र बिदे	उपेन्द्र
35	मोहन बिदे	मोहन बिदे
36	लक्ष्मी देवी	लक्ष्मी देवी
37	मुन्नी चक्रवर्ती	मुन्नी चक्रवर्ती
38	मुन्नी	मुन्नी चक्रवर्ती
39	कुमल मेरी	
40		


 प्रमाणित
 ग्राम सभा में उपस्थित
 दिवाग बिदे
 जयपुर-राजस्थान

परियोजना का नाम :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड मोरी में ओडाटा से सरास
मोटर मार्ग का निर्माण ।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापति प्रमाण पत्र ।

ग्राम पंचायत का नाम - ओडाटा

तहसील- मोरी, जिला उत्तरकाशी

अनापति प्रमाण पत्र ।

उत्तराखण्ड के जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड मोरी में ओडाटा से सरास मोटर मार्ग का निर्माण । परियोजना के निर्माण हेतु (आरक्षित वनभूमि 1.7325 है०, सिविल सोयम भूमि 2.025 है०, वन पंचायत भूमि शुन्य है०) अर्थात् कुल 3.8385 है०, वन भूमि का प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सिंचाई खण्ड पुरोला विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तीत करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया ।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ओडाटा द्वारा दिनांक 16/05/16 को सम्पन्न ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई । यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य है अथवा नहीं । उपस्थित सभी ग्रामवासीयों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि किसी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासीयों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है ।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ओडाटा के ग्रामवासीयों को उक्त वन भूमि सिंचाई खण्ड पी० एम० जी० एस० वाई० पुरोला प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है ।

प्रमाणित किया जा सत्य एवं सही है ।

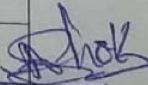
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत
पि० ख०

प्रमाणित
ग्राम पंचायत ओडाटा
वि० ख०-मोरी (उत्तरकाशी)
ग्राम प्रधान

दिनांक - 16/05/66 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत का नाम- आडाहा

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	ज्योत सिंह	ज्योत सिंह
2	जय प्रकाश सिंह	जय प्रकाश
3	करतार सिंह	करतार
4	पदीप सिंह	पदीप
5	अर्जुन सिंह	अर्जुन
6	मुदवीर सिंह	मुदवीर
7	मेधा सिंह	मेधा सिंह
8	भादर सिंह	भादर सिंह
9	कंचन सिंह	कंचन सिंह
10	अमर सिंह	अमर सिंह
11	महावीर सिंह	महावीर सिंह
12	सनीया	सनीया
13	हीर दास	हीर दास
14	जीवन सिंह	जीवन सिंह
15	मदन लाल	मदन लाल
16	प्रेम लाल	प्रेम लाल
17	गनी	गनी
18	रतीया	रतीया
19	बीजपाल	बीजपाल
20	सीरपाल	सीरपाल
21		
22		
23		
24		
25		

प्रधान 
 ग्राम पंचायत आडाहा
 विकास खण्ड मारा,
 जनपद-उत्तरकाशी